	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.26		

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पंक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 225 में रास्ता दर्शाया है वहां पर मौके पर भवन बने हुए तथा मौका रिपोर्ट बरंग हरा से दर्शित खसरा संख्या 234,227 व 229 मे जो रास्ता बताया है वह बिल्कुल गलत दर्शाया है अतः प्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिवाना से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट मे दर्शित बरंग केसरिया से दर्शित भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में प्रार्थीगण द्वारा कभी भी नहीं किया गया, प्रार्थीगण पूर्वज के समय से ही मौका रिपोर्ट में बरंग हरा से दर्शित अनुसार ही आवगमन करते आ रहे है,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए अनुसार जब कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो तथा आवागमन किया जा रहा है तो नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है, प्रार्थीगण के पास आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग हरा से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के ,खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु खसरा संख्या 225, 227, 229 व 234 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है,तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता व वैकल्पिक रास्ते दोनो समान लम्बाई के है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसारः–

(1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और

(2) अन्य खातेदार की जोत [illegible] के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभ[illegible]द्ध [illegible] गया है:–

राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] अनुसार [illegible] रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) DNJ (Rev.) 1368 BORAD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram में यह सिद्वान्त प्रतिपादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.23 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया है कि ***जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है।***
	हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण रास्ते के अभाव को सिद्ध करने में असफल रहे है।
	लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	आदेश आज दिनांक 30.04.26 को सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.23 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested